

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार, 27 अगस्त, 2007/भाद्रपद 05,1929 (शक)

संख्या- 219

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, उपायुक्त पुलिस, मध्य जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, डा. जगदीश मुखी, श्री पूरन चन्द योगी, श्री साहब सिंह चौहान, और डॉ. हर्षवर्द्धन, को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 20.8.2007 को अप. 2.00 बजे, डॉ. अम्बेडकर स्टेडियम, बहादुर शाह जफर मार्ग, पुलिस स्टेशन आई. पी. स्टेट नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से अप. 2.12 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Monday, 27th August 2007/ 05 Bhadra 1929 (Saka)

No. 219

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, Central District, Delhi.

"I have the honour to inform you that Dr. Jagdish Mukhi, Dr. Harsh Vardhan, Shri Puran Chand Yogi and Shri Sahab Singh Chauhan, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained U/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from Dr. Ambedkar Stadium, Bahadur Shah Zafar Marg, Police Station I. P. Estate, New Delhi at 2.00 P.M. on 20.08.2007.

They were released at 2.12 P.M. from the same place and same date."

Siddharath Rao
Secretary